बिहार विधान सभा वादवृत

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि १९ दिसम्बर, १९७५

विषय-सूची

	पृष्ट
प्रश्नों के लिखित उत्तर :—पिछले एकादश सत्र के अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :—२०, ३१ एवं ३२ ...	२—१०
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—१५१, १५२, १५४, १५६, १५७, २९७, ३००, ३०१, ३०२, ३०४, ३०६, ३१४, ३१५, ३१६, ३१९ एवं ३२१।	१०-३१
परिशिष्ट (१) एवं (२) (प्रश्नों के लिखित उपर) : ...	३२-४८४
दैनिक निबन्ध	४८५-४८६

टिप्पिणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नही किया है उनके नाम के आगे चिन्ह (*) लगा दिया गया है।

(२) क्या यह बात सही है कि पुनः अधिवक्ता सं० २=, दिनांक ७ मार्च १९७५ द्वारा उन्हें बिहार राज्य निर्माण निगम के सचिव-सह-प्रशासन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया और वे आजतक उल्लिखित आदेशों के बावजूद भी श्री एन० सी० दास को एस० डी० ओ०, गया का कार्यभार नहीं सौंपे हैं ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उल्लिखित आदेशों की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी श्री ज्योतिषि के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार करती है, यदि 'नहीं' तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री कार्मिक विभाग—(१) यह बात सही है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या ३६४३, दिनांक २७ फरवरी १९७५ द्वारा श्री गुरु प्रसाद वैद्य 'ज्योतिष' की नियुक्ति निश्चित की गयी। श्री ज्योतिषि ने दिनांक १ अप्रील १९७५ को गया अनुमंडल का प्रभाव श्री एन० सी० दास को दे दिया है।

(२) उपर्युक्त के आलोक में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनदेई नदी सीतामढ़ी की रक्षा।

व-४४। श्री रामस्वरूप सिंह श्री एस० के० राय एवं श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगरपालिका की बाढ़ से रक्षा करने के लिये कच्चा रिंग बांध का निर्माण १९७३ में किया गया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि लखनदेई एक छिछली नदी है और १९३४ के भूकम्प में इस नदी की धारा बालू से भरकर ऊंची हो गई है :

(३) क्या यह बात सही है कि बाढ़ के दिनों में उपर्युक्त नदी की धारा से फाजिल पानी रिंग बांध के बाहर सीतामढ़ी नगर और पड़ोस के गांवों में फैल जाता है ;

(४) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त रिंग बांध बाढ़ के दिनों में कई स्थानों में टूट जाता है; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, सिंचाई विभाग—(१) उत्तर अस्वीकारात्मक है। १९५५ ई० में उक्त शहर की सुरक्षा हेतु एक रींग बांध का निर्माण किया गया था, जिसका आंशिक सुदृढ़ीकरण १९७१-७२ में किया गया है।

(२) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। बाढ़ का पानी शहर में नहीं फैलता है परन्तु नदी के दायां और तटबन्ध नहीं रहने के कारण बाढ़ का पानी पड़ोस के गाँवों में फैल आता है।

(४) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान में अन्तर।

९-३४। श्री केदार दास एवं श्री रामदेव शर्मा—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुलिस सेवा में वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान ८९०—१,४१५ रुपये रखा गया है, जबकि दूसरी सभी सेवाओं में इस कोटि के लिये वेतनमान १,०६०—१,६८० रुपये हैं यदि 'हां' तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग—यह ठीक है कि पुलिस सेवा के वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान ८९०—१,४१५ रुपये रखा गया है, परन्तु बिहार असैनिक सेवा के वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान १,०६०—१,५८० रुपये है न कि १,०६०—१,६८०। बिहार पुलिस सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा के वरीय प्रवर कोटि के पुनरीक्षित वेतनमान में अन्तर का कारण यह है कि पुनरीक्षण के पूर्व भी बिहार पुलिस सेवा के वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान ७३०—१,५५० रुपये था जबकि बिहार असैनिक सेवा के वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान ९००—१,४०० रुपये था। चूंकि बिहार असैनिक सेवा के वरीय प्रवर कोटि का अपुनरीक्षित वेतनमान ज्यादा था, स्वभाविक रूप में इस सेवा के वरीय प्रवर कोटि का पुनरीक्षित वेतनमान बिहार पुलिस सेवा की अपेक्षा अधिक रखा गया है।

मुकदमें के निष्पादन के संबंध में।

९-५। श्री अलगू राम एवं श्री रामनारायण साह—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि गया जिला के वर्त्तमान समाहर्त्ता श्री सुब्रह्मण्यम् के कार्यकाल में उनके न्यायालय में दिसम्बर, १९७४ तक कितने मुकदमें दायर किये गये उनमें से फरवरी, १९७५ तक कितने निष्पादित किये गये तथा कितने बाकी हैं ?